न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिकी/टीए/1957/2005/जयपुर

1. सूरजमल पुत्र रूघा
2. कजोड़ पुत्र रामजीलाल
3. गोपाल पुत्र रामजीलाल
   –सभी जाति मीणा, निवासीगण गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

WR

1. छीतरमल पुत्र जोरू, जाति मीणा, निवासीगण गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

.....प्रत्यर्थी/वादी

2. घीसा
3. बजरंगा
   –पुत्रगण हरदेव, जाति मीणा, निवासीगण गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य
श्री मदन मोहन शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री भवानीसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी पक्ष
श्री हगामी लाल चौधरी व श्री हनुमान चौधरी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी संख्या-1
श्री मामराज जाखड़, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3

निर्णय

दिनांकः 02-09-2011

यह अपील अन्तर्गत धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं. 145/2004 में पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-4-2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष ग्राम गाडोता स्थित विवादित आराजियात बाबत इस्तकरार हक, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अंकित किया कि पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 112 तस्दीक करते समय रेस्पोडेन्ट के 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया। प्रश्नगत भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया। अपीलान्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए वाद में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। तत्पश्चात विचारण न्यांयालय ने पक्षकारान को नोटिस जारी करते हुए 7 तनकियात कायम की तथा गवाहान के बयानात दर्ज करवाये। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विचारण न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-6-2004 द्वारा तनकी संख्या 1 लगायत 6 रेस्पोडेन्ट संख्या-1/वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या-1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-4-2005 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि रेस्पोडेन्ट विवादित आराजियात में 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा का खातेदार किस आधार पर घोषित करवाना चाहता है। उक्त वाद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है तथा न ही वाद में कॉज ऑफ एक्शन ही दर्शाया गया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। उनका यह भी कथन है कि विचाराधीन वाद में विचारण न्यायालय ने कुल 7 तनकियात कायम की तथा उक्त तनकियात पर बिना निष्कर्ष अंकित करते हुए समस्त तनकियात को रेस्पोडेन्ट/वादी के पक्ष में निर्णित कर अवैधानिकता की है। उनका तर्क है कि रेस्पोडेन्ट छीतर, जो कि जोरिया उर्फ जोरू का पुत्र है तथा जोरू स्वयं उदा के गोद जाना अंकित किया गया है, लेकिन इस बाबत विचारण न्यायालय ने न तो तनकी कायम की तथा न ही स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा उदा को जोरिया से धारित हुआ है। उन्होंने बताया कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय सजरे पर आधारित होना बताया है, जबकि रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा नं तो वाद में सजरा दर्शाया तथा न अपने बयानों में कहा गया है। प्रदर्श डी-1 सेटलमेंट के पर्चे में छीतर पुत्र जोरू का 1/3 हिस्सा दर्ज है व प्रदर्श पी-1 में बहिस्सा दर्ज है। अर्थात जोरिया का 1/3 हिस्सा ही दर्ज है। रेकार्ड से प्रमाणित होते हुए भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट/वादी के पक्ष में करने में भारी विधिक त्रुटि की है। उन्होंने यह कथन किया कि पूर्व में राजस्व मण्डल द्वारा दो निगरानियों में दिनांक 28-1-1994 को निर्णय दिया हुआ है इसलिए रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त भी लागू होता है परन्तु विचारण न्यायालय ने इसे नहीं माना है। नामान्तरकरण संख्या 112 प्रदर्श पी-6 के कॉलम संख्या 5 में जो इन्द्राजात थे उससे जोरू के फौत होने पर उसके उत्तराधिकारी छीतर का इन्द्राज कालम संख्या 11 में किया है तथा हिस्सा 1/3 दर्ज है शेष इन्द्राजात बदस्तूर रखे है। इसमें कोई त्रुटि नहीं

है। कालम संख्या 5 के अनुसार जोरू का हिस्सा 1/3 ही बनता है। उन्होंने आगे अवगत कराया कि नामान्तरकरण संख्या 112 बाबत कभी भी रेस्पोडेन्ट ने चुनौती नहीं दी तथा न ही कभी निरस्तीकरण की कार्यवाही करवायी गयी है। उनका आगे तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात का पूर्व में बाहमी बटवारा मान लिया गया तो प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की जानी चाहिए थी। साथ ही रेस्पोडेन्ट 1/3 हिस्सा का ही खातेदार होने के कारण उस सीमा तक ही भूमि का विभाजन करना अपेक्षित था। तनकी संख्या 2 का निर्णय तनकी संख्या 1 पर आधारित है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित तनकी संख्या-3 उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। इसके अलावा तनकी संख्या-4 जो कि स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अभिनिर्धारित की गयी थी, उक्त तनकी को भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित करने में गंभीर अनियमितता की गई है। उन्होंने मुख्य रूप से अवगत कराया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद साबित हुए बिना विचाराधीन वाद को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित करने से विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को आपेक्षित निर्णय द्वारा अस्वीकार की गई है, अतः उक्त निर्णय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं दिया गया है। फलस्वरूप दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के क्रमश निर्णय व डिक्री दिनांक 8-4-2005 एवं 21-6-2004 निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या-1/वादी के अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय व डिक्री को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधिसम्मत होना बताया है तथा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध किया है। उनका कथन है कि प्रदर्श पी-8 व प्रदर्श पी-13 के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2018-2029 में विवादित आराजियात में अमरा एवं उदा के वारिसान का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 प्रदर्श पी-14 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 प्रदर्श

पी–15 जोरिया पुत्र उदा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। दर्ज हिस्से अनुसार ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि उक्त हिस्से के अनुसार ही सिंचाई होती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3/प्रतिवादीगण द्वारा भी इकबाली जवाबदावे में 1/2 बहिस्सा स्वीकार किया गया है। उनका आगे कथन है कि मौखिक साक्ष्य में भी विवादित आराजियात बाबत रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा बताया गया है जबकि अपीलान्ट्स का 1/4 हिस्सा बताया गया है तथा हिस्सेनुसार ही रेस्पोडेन्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उन्होंने मुख्य रूप से बताया कि विवादित आराजियात में यदि रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा नहीं होता तो उक्त भूमि पर उसका कब्जा प्रमाणित नहीं होता। उनका मुख्य तर्क है कि विचारण न्यायालय ने गवाहों के मौखिक बयान तथा उपलब्ध साक्ष्य एवं रेकार्ड की सम्पूर्ण स्थिति का आंकलन करते हुए विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी को निर्णित किया है। रेसज्यूडिकेटा सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी स्पष्ट अभिमत दिया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजियात बाबत प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। फलस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधिसम्मत निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। फलस्वरूप दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त समवर्ती निष्कर्ष अहस्तक्षेपनीय होकर यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखने की प्रार्थना की है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित-निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या-1/वादी द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में रेस्पोडेंट ने आराजी का 1/2 हिस्सा स्वीकार करने हेतु अनुतोष चाहा

गया। विचारण न्यायालय ने वाद प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को तलब किया गया तथा लिखित व मौखिक दस्तावेजात के आधार पर अनुतोष सहित 7 विवाद्यक विरचित करते हुए सभी विवाद्यकों को प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णित करने सम्बन्धी निर्णय व डिक्री दिनांक 21-6-2004 पारित किया। इस सम्बन्ध में हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, जिंससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात बाबत जो सजरा प्रस्तुत किया गया है उसकी पुष्टि विभिन्न प्रदर्श से होती है। खतौनी सेट्लमेन्ट विभाग प्रदर्श पी-8 सम्वत 2011 से 2029 में हरदेवा व रूघा पिसरान अमरा, जोरिया वल्द उदा अकवास मीना हि0 बराबर दर्ज है, उक्त दस्तावेज सम्वत 2012 से पूर्व का है। जिसमें हरदेवा व रूघा पिसरान अमरा का 1/2 हिस्सा एवं जोरिया वल्द उदा का 1/2 हिस्सा होना रेकार्ड से प्रमाणित है। इसी प्रकार प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-2, प्रदर्श पी-11 एवं प्रदर्श पी-12 से भी इसकी पुष्टि होती है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 लगायत 14 प्रदर्श पी-14 तथा 2015 से 2016 प्रदर्श पी-15 में भी जोरिया वल्द उदा का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 112 के कॉलम संख्या 11 में छीतर पुत्र उदा का 1/3 हिस्सा भी कॉलम संख्या 5 के अनुरूप अंकित नहीं किया गया है। विवादित आराजी उदा व अमरा के वारिसान में बहिस्सा बराबर दर्ज है। अर्थात उदा का पुत्र जोरिया जो कि रेस्पोडेन्ट का पिता है, अतः वह उक्त इन्द्राज के अनुसार 1/2 हिस्से के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा सम्वत 2034 में 29 बीघा 14 बिस्वा रकबे की सिंचाई की रसीद प्रस्तुत की है, इससे भी रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्से पर कब्जा प्रमाणित होता है। फलस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या-1 पर दिया गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या-2 के कम में हालांकि जमाबन्दी में प्रत्यर्थी का 1/2 हिस्सा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है परन्तु खसरा गिरदावरी सम्वत 2015-2016 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है। जमाबन्दी में अंकन नहीं होने की स्थिति में वंशावली के अनुसार भी उदा व अमरा बहिस्सा बराबर दर्ज है अर्थात उनका आराजी में 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज है। रेस्पोर्डेट के पिता जोरिया 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने पर उसकी मृत्योपरान्त वारिस रेस्पोडेन्ट 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रमाणित है। अतः हमारी

सुविचारित राय में उक्त विवाद्यक संख्या-2 प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णित किए जाने सम्बन्धी विचारण न्यायालय का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या 3 में रेस्पोडेन्ट आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं को पृथक से काबिज बतलाता है तथा अपीलान्ट्स 1/3 हिस्से पर काबिज बतलाते है, इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान संयुक्त रूप से काश्त नहीं करते है अर्थात उन्होंने अपने हक के अनुसार मौके पर भूमि का विभाजन कर रखा है। चूँकि विवाद्यक संख्या 1 व 2 विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित की है जिसमें वह 1/2 हिस्से का अधिकारी माना गया है। इकबालिया जवाब व सिंचाई रसीद के अनुसार 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का काबिज होना प्रमाणित है परन्तु रेकार्ड में विभाजन नहीं हुआ है। अतः हक के अनुसार कब्जा विभाजन तथा उसी अनुसार नक्शे में तरमीम करवाने का रेस्पोडेन्ट को अधिकारी मानने एवं रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त की विवाद्यक संख्या-6 पर भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त निष्कर्ष उचित माना जाएगा। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने उक्त विवाद्यकों के आधार पर ही शेष सभी विवाद्यकों को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात बाबत प्रदत्त निर्णय अहस्तक्षेपनीय है। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय द्वारा अस्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री को यथावत रखा है। आक्षेपित निर्णय में भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात बाबत विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करते हुए अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है। प्रश्नगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष के विपरीत विवादित आराजियात बाबत कोई नये तथ्य अपीलार्थी पक्ष द्वारा हमारे समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। फलस्वरूप दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

8. यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988 से लगातार पिछले 23 वर्षों से जो विवाद चल रहा है उसका मूल कारण राजस्व/भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा मात्र एक कोमा (,) का अंकन न कर पाना स्पष्टः परिलक्षित हो रहा है। भू-प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व विभाग की इस लापरवाही के कारण वादी/अपीलार्थी के मन में लालच उत्पन्न हुआ जिसका यह परिणाम है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी फिर भी अपीलार्थी द्वारा अपील दर अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी को विवाद में उलझाये रखा है इससे उसकी बदनियति स्पष्ट रूप से झलकती है। अतः हम इस प्रकरण में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को आर्थिक अनुतोष प्रदान करना भी उचित समझते है।

9. उपरोक्त विवेंचन के आधार पर अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं होने के कारण अस्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिकी को यथावत रखा जाना समीचीन है।

10. परिणामतः अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील को रूपये 10,000/- के व्यय (Cost) सहित अस्वीकार किया जाता है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिकी यथावत रखे जाते हैं। व्यय (Cost) राशि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1/प्रतिवादी को 15 दिवस में प्रदत्त की जावेगी। तदुपरान्त यह राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित नियमानुसार वसूलनीय होगी।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

02/9/2011
(मदन मोहन शर्मा)
सदस्य

02-09-2011
(ताराचन्द सहारण)
सदस्य